म.प्र. विद्युत नियामक आयोग, भोपाल
चतुर्थ एवं पंचम तल, विट्ठन मार्केट, भोपाल – 462 016

भोपाल, दिनांक 23.6.2007

क्रमांक 1191/म.प्र.विनिआ/2007. विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 86 (1) (आई), मध्यप्रदेश सुधार अधिनियम की धारा 9 (जे), वितरण अनुज्ञप्तिधारी (समझे गये अनुज्ञप्तिधारी को मिलाकर) हेतु वितरण अनुज्ञप्ति की शर्तों की कण्डिका 20 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्ति के निर्वहन में तथा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग क्रमांक 37, दिनांक 4 जनवरी, 2006 द्वारा अधिसूचित मध्यप्रदेश विद्युत वितरण संहिता जो कि मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता का ही एक भाग है, में निम्न परिवर्धन/संशोधन करता है ।

मध्यप्रदेश विद्युत वितरण संहिता में (प्रथम पुनरीक्षण) संशोधन

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ

(i) यह संहिता **''मध्यप्रदेश विद्युत वितरण संहिता (प्रथम पुनरीक्षण) (क्रमांक एजी–29 (i), वर्ष 2007)''** कही जावेगी ।

(ii) यह संहिता मध्यप्रदेश शासन के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होगी ।

(iii) इस संहिता का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य होगा ।

2. धारा 4 में संशोधन

''मध्यप्रदेश विद्युत वितरण संहिता, 2006'' में, धारा 4 ''वितरण संहिता का प्रबंधन'' के अर्न्तगत **कण्डिका 4.1.1 से कण्डिका 4.1.9** को निम्नानुसार अर्न्तस्थापित किया जावेगा :

वितरण संहिता का प्रबंधन

4.1.1 अनुज्ञप्तिधारी इस संहिता की तथा इसके क्रियान्वयन की नियतकालिक समीक्षा करेगा । इस प्रयोजन से आयोग द्वारा एक वितरण संहिता समीक्षा दल (पेनल), जिसे इसके पश्चात दल कहा जावेगा, संस्थापित किया जावेगा । समिति की अध्यक्षता किसी एक वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा क्रमानुसार म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, इन्दौर, म.प्र. मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी, भोपाल एवं मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, जबलपुर द्वारा की जावेगी तथा इसमें निम्न सदस्य शामिल होंगे :

(अ) प्रत्येक वितरण अनुज्ञप्तिधारी से एक–एक सदस्य जिसका पद अधीक्षण यंत्री से कम का न होगा;

(ब) राज्य पारेषण इकाई से एक सदस्य, जिसका पद अधीक्षण यंत्री से कम का न होगा; तथा

(स) मध्यप्रदेश राज्य में अतिरिक्त उच्च दाब/उच्च दाब उपभोक्ताओं में से एक सदस्य जो ऐसे सभी समस्त उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करेगा ।

दल की अध्यक्षता करने वाली संबंधित वितरण कंपनी, अपनी कंपनी के एक अधिकारी को (जिसका समीक्षा दल का सदस्य होना आवश्यक न होगा) नामांकित करेगी, जिसका पद इस दल के अध्यक्ष के रूप में मुख्य अभियंता से कम का पद न होगा तथा एक अधिकारी को भी सदस्य सचिव के रूप में नामांकित करेगी । यही अनुज्ञप्तिधारी समस्त वांछित सहायता, प्रशासनिक अथवा अन्यथा प्रदान करेगा । समीक्षा दल के समस्त सदस्य दो वर्ष की अवधि हेतु नियुक्त किये जावेंगे।

4.1.2 इस दल की बैठक छः माह में कम से कम एक बार होगी ।

4.1.3 दल निम्न कृत्यों का परिपालन करेगा :

(अ) संहिता एवं संबद्ध मानकों तथा उनके क्रियान्वयन की नियतकालिक समीक्षा ।

(ब) इस संहिता के संशोधनों हेतु प्राप्त समस्त सुझावों की समीक्षा ।

4.1.4 इस संहिता में परिवर्तन चाहने वाला कोई अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता अथवा अन्य कोई उपयोगकर्ता, दल को अपना प्रस्ताव लिखित में, ऐसे परिवर्तनों तथा आनुषंगिक परिस्थितियां के कारणों का वर्णन दर्शाते हुए प्रस्तुत करेगा । यदि ऐसा समझा जावे कि आवश्यकता की आपूर्ति हेतु संहिता में परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है, तो इस प्रयोजन हेतु, अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ताओं अथवा उपयोगकर्ताओं के साथ बैठकों का आयोजन कर सकेगा ।

4.1.5 दल द्वारा ऐसा प्रस्ताव प्राप्त किये जाने पर वह इसे वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को उनके विचारार्थ तथा लिखित टीप की प्राप्ति हेतु अग्रेषित करेगा ।

4.1.6 दल द्वारा नियतकालिक बैठकों के दौरान वितरण अनुज्ञप्तिधारियों/उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत टीपों पर विचार किया जावेगा । दल के सदस्य सचिव द्वारा संहिता में प्रस्तावित परिवर्तनों के संबंध में दल की अनुशंसाओं की कार्यवाही के विवरण सहित आयोग को अग्रेषित किया जावेगा ।

बशर्ते यह कि दल, यहां पर बैठकों को आयोजित किये जाने तथा कृत्यों को कार्यान्वित किये जाने संबंधी प्रक्रिया के अतिरिक्त अपनी स्वयं की प्रक्रिया द्वारा भी इसे सम्पूरक कर सकेगा ।

4.1.7 वितरण संहिता समीक्षा दल द्वारा वितरण संहिता में प्रस्तावित परिवर्तन/पुनरीक्षण, ग्रिड संहिता के सुसंगत एवं अनुरूप होंगे ।

4.1.8 आयोग प्रस्तावित किये गये परिवर्तनों को, इनमें सुधारों द्वारा अथवा बिना सुधार द्वारा, जैसा कि वह उचित समझे, उसे अधिसूचित कर सकेगा, जैसा कि यह आवश्यक हो ।''

4.1.9 यदि दल आयोग से किसी विशेष विषय पर चर्चा/परामर्श किया जाना आवश्यक समझे तो ऐसी दशा में दल आयोग को अग्रिम रूप से आगामी बैठक हेतु उन विषयों के विवरण जिन पर चर्चा की जाना प्रस्तावित है, प्रेषित करेगा । ऐसा अनुरोध प्राप्त होने पर आयोग स्वविवेक से, आयोग के किसी एक अधिकारी को, इस हेतु, नियोजित कर सकेगा ।

(अशोक शर्मा)
आयोग सचिव